पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 184/2018

अनवान :

1. महावीर पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी उतरदाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजपाल
3. दलवीर सिंह
4. अन्तरसिंह
5. रोशनी
6. शीला
7. कविता

पुत्र/पुत्रियां रामस्वरूप जाति जाट निवासीगण उतरादाबास तहसील भादरा।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 7 श्री योगेश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 408/359 के खसरा सं0 249 की 3.3010 है0 कृषि भूमि प्रतिवादीसं0 1 रामस्वरूप के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है एवं रोही मौजा उतरदाबास के खाता सं0 199/185 खसरा सं0 43/1 की 0.8850 है0 खसरा सं0 76 की 2.6050 है0 कुल 3.4900 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप के नाम खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं 2 ता 4 संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 5 ता 7 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा अपने पुत्र व भाईयों वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने एव यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के नाम संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.9.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 184/2018

अनवान :

1. महावीर पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी उतरदाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजपाल
3. दलवीर सिंह
4. अन्तरसिंह
5. रोशनी
6. शीला
7. कविता

पुत्र/पुत्रियां रामस्वरूप जाति जाट निवासीगण उतरादाबास तहसील भादरा।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेश बैनीवाल : वादी
वकील श्री योगेश शर्मा : प्रतिवादी सं0 1 ता 7

निर्णय **दिनांक : 7.9.18**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 408/359 के खसरा सं0 249 की 3.3010 है0 कृषि भूमि प्रतिवादीसं0 1 रामस्वरूप के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है एवं रोही मौजा उतरदाबास के खाता सं0 199/185 खसरा सं0 43/1 की 0.8850 है0 खसरा सं0 76 की 2.6050 है0 कुल 3.4900 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप के नाम खातेदारी दर्ज है जो कि प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप को अपने पिता रामजीलाल से विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रक व दादालाई सम्पति है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप के साथ साथ वादी महावीर व प्रतिवादी सं0 2 ता 7 का जन्म से हक व हिस्सा है। प्रतिवादीया सं0 5 ता 7 ने वाद कृषि भूमि से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 8 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में वादी महावीर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी ग्राम भनाई खाता सं0 408/359 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी ग्राम उतरादाबास खाता सं0 199/185 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम उतरादाबास सम्वत् 2051 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भनाई सम्वत् 2050 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप को अपने पिता रामजीलाल से विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रक व दादालाई सम्पति है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप के साथ साथ वादी महावीर व प्रतिवादी सं0 2 ता 7 का जन्म से हक व हिस्सा है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ग्राम भनाई व उतरदाबास के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रक व दादालाई सम्पति होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने खतौनी जमाबन्दी ग्राम उतरादाबास सम्वत् 2043 व खतौनी जमाबन्दी ग्राम भनाई सम्वत् 2042 पेश की है जिनमें वादी भूमि वादी के दादा रामजीलाल के नाम दर्ज है जिससे वाद वादी दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में रामस्वरूप के वारिसान में पत्नि सुरजमुखी देवी फौत, चार पुत्र राजपाल, महावीर, दलवीर सिंह, अन्तरसिंह व 3 पुत्रियां रोशनी, शिला, कविता होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 408/359 के खसरा सं0 249 की 3.3010 है0 कृषि भूमि प्रतिवादीसं0 1 रामस्वरूप के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है एवं रोही मौजा उतरदाबास के खाता सं0 199/185 खसरा सं0 43/1 की 0.8850 है0 खसरा सं0 76 की 2.6050 है0 कुल 3.4900 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप के नाम खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं 2 ता 4 संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 5 ता 7 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा अपने पुत्र व भाईयों वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने एव यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के नाम संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7.9.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़